ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-1* February- 2021
Innovation The Research Concept

महिला यौन अपराधों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान: समसामयिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक अध्ययन

Constitutional Provisions Regarding Female Sexual Offenses:Analytical Studies In Contemporary Context

Paper Submission: 02/02/2021, Date ofAcceptance: 24/02/2021, Date of Publication: 25/02/2021

ज्योति मेहरा
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राज ऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय,
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

आज का भारत विज्ञान का युग है।भारत सदियों से अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता रहा है।भारत में महिलाओं और बच्चों को देवताओं का अंश समझकर पूजा जाता है। इसीलिए भारत में यह युक्ति अधिक प्रचलित है जो इस प्रकार है–

"यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता"

अर्थात जहां नारियों को पूजा जाता है, वहां देवता निवास करते हैं।

परंतु इसके विपरीत हमारे देश में महिलाओं और बच्चों के साथ अनैतिक कार्य किए जाते हैं। आए दिन समाचार –पत्रों में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। छोटी–छोटी बच्चियों को दुष्कर्मी अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। देश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं महिलाओं व बच्चों की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है।जिस पर हमारी सरकार और प्रशासन को अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु देश के प्रत्येक राज्य, जिला, कस्बा, गांव, ढाणियों में लैंगिक अपराधों के विरुद्ध कानूनी व न्यायिक व्यवस्था सशक्त रूप से लागू होनी चाहिए।

Today's India isAn era of science. India has been known for its cultureAnd civilization for centuries. In India, womenAnd childrenAre worshipedAs part of the gods. That is why this tactic is more prevalent in India which isAs follows-

"यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता"

That is, where the womenAre worshiped, the gods reside there.

But on the contrary, unethicalActsAre done in our country with womenAnd children. Incidents of rape of womenAnd childrenAre read in newspapers in the coming days. The little girls make vicious victims of their lust. The incidence of increasing rape in the country shows the pathetic condition of womenAnd children. Sexual offenses with womenAnd childrenAre highly sensitive issues. Our governmentAndAdministration need to be given highAttention. For the protection of womenAnd children in every state, district, town, village, dhani of the country, sexual offenses The legalAnd judicial system should be strongly enforcedAgainst.

मुख्य शब्द : लैंगिक कानून, पोक्सो एक्ट, बलात्कार, रूढ़िवादिता, नैतिक मूल्य, यौन हिंसा , बाल दुष्कर्म, महिला दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक दुष्कर्म आदि।

Sexual Law, PoxoAct, Rape, Conservatism, Moral Values, Sexual Violence, Child Rape, Female Rape, Gang Rape, Unnatural Rape etc.

प्रस्तावना

देश की आधी से ज्यादा आबादी में आने वाली महिलाएं व बच्चे देश में सुरक्षित नहीं है।आए– दिन समाचार– पत्रों ,टेलीविजन पर महिलाओं व बच्चों के साथ योन अपराधों की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जो देश के लिए एक चिंता का विषय है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक शोध के अनुसार दुनियाभर में हर तीन में से एक महिला या बच्ची का शारीरिक यौन शोषण होता है। भारत में रोजाना 90 से अधिक बलात्कार की घटनाएं होती है लेकिन दोषियों को सजा देने की कम दर चिंताजनक है।

महिलाओं व बच्चों के साथ बढ़ती बलात्कार की घटनाएं एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। क्योंकि जिस देश में बच्चों व महिलाओं को ईश्वर के प्रतिक के रूप में पूजा जाता है ,वहीं दूसरी और उनके साथ बलात्कार जैसा निंदनीय कृत्य किया जाता है। अगर बलात्कार के विरुद्ध न्यायिक व्यवस्था की बात की जाए तो देश की प्रारंभिक न्याय व्यवस्था अत्यंत शिथिल थी तथा लैंगिक अपराधों के विरुद्ध कोई कठोर कानून नहीं बनाया गया था। देश में प्रत्येक 1 मिनट में एक महिला या बच्चें कें साथ बलात्कार की घटना होती हैं। देश में महिलाओं व बच्चों के प्रति बलात्कार की घटनाओं के आंकड़ों पर अध्ययन करें तो स्थिति बहुत चिंतनीय है।

अंग्रेजो के शासन काल से लेकर भारत को स्वतंत्रता मिलने के दौरान महिलाओं व बच्चों की स्थिति दयनीय रही है। उस समय भी उनके साथ किसी ना किसी रूप में लैंगिक अपराध होता रहा है। और अगर यौन अपराधों के संदर्भ में न्यायिक व्यवस्था की बात की जाए तो अपराधियों के सजा के मामले ना के बराबर ही दर्ज किए जाते थे। क्योंकि अंग्रेज स्वयं भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे। वे भारतीय स्त्रियों और बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते थे, और इस क्रम में दलित महिलाओं व बच्चों की स्थिति बहुत सोचनीय थी।

देश की वर्तमान स्थिति का आकलन करें तो स्वतंत्रता के बाद महिलाओं व बच्चों के साथ यौन अपराधों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, और लैंगिक अपराधियों के सजा के मामले बहुत कम है जो भारत की न्यायिक व्यवस्था व प्रशासनिक व्यवस्था पर एक कटु प्रहार की तरह है। वर्ष 1947 सें लेकर 2019 तक बलात्कार के लाखों मामले देश की विभिन्न अदालतों में लंबित है। देश में बढ़ती महिला व बाल दुष्कर्म की घटनाएं इस बात पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि देश में न्यायिक व्यवस्था होने के बावजूद भी महिलाओ व बाल यौन अपराध की घटनाओं के आंकड़े बढ़तें ही जा रहे हैं। लैंगिक अपराधों की घटनाओं के बढ़ने का मुख्य कारण हमारी शिथिल व कमजोर न्यायिक व्यवस्था ,प्रशासनिक अव्यवस्था ,समाज की रूढ़िवादिता व गिरते नैतिक मूल्य है।

अगर महिलाओं वह बच्चों के साथ के साथ होने वाले बलात्कार के विरुद्ध कानून व्यवस्था की बात की जाए तो 2012 से पूर्व संविधान में बलात्कार हेतु मात्र 7 वर्ष की सजा का प्रावधान था। जो इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में बलात्कार को एक सामान्य अपराध ही समझा गया है। महिलाओं व बच्चों के साथ उनके परिजनों, रिश्तेदारों सहकर्मियों , शिक्षकों के द्वारा यौन रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, परंतु इस विषय पर हमारा समाज व कानून निरूशब्द है।

2012 में देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया जैसा भयानक सामूहिक दुष्कर्म हत्याकांड हुआ। जिसनें हमारी सरकार और न्यायिक व्यवस्था की बंद आंखें खोल दी। जिसके फलस्वरूप देश में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा हेतु कठोर न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान करने का निश्चय किया गया, और बलात्कार के विरूध्द कठोर दंड का प्रावधान किया गया। जिसके फलस्वरूप 2012 में भारत सरकार ने महिलाओं में बच्चों के विरुद्ध बढ़ते यौन हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए तथा दुष्कर्म कें उपर नकेल कसने के लिए पोक्सो एक्ट 2012 को पारित किया। पोक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न ,लैंगिक शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराध आते हैं।

पोक्सो एक्ट बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों में बलात्कार के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान करता है। पोक्सो एक्ट पारित होने से पूर्व बाल लैंगिक अपराधों के संदर्भ में गोवा बाल अधिनियम 2003 एकमात्र कानून था।महिलाओं व बच्चों के साथ किसी न किसी रूप में यौन शोषण होता आया है और हो रहा है। 2012 में पोक्सो एक्ट पारित होने के उपरांत भी बच्चों व महिलाओं के साथ यौन अपराधों की घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा बच्चों की जनसंख्या भारत में है।कुल जनसंख्या में से 18 साल से कम आयु के बच्चों की संख्या 47. 2 करोड़ है और उनमें से 22.5 करोड़ लड़कियां हैं।। बच्चों की कुल आबादी में से आधे से अधिक बच्चे बलात्कार का शिकार होते हैं। पोक्सो एक्ट के तहत जितने भी आंकड़े अब तक रिपोर्ट किए गए वह महज बड़ी समस्या की छोटी सी झलक दर्शाते हैं।

2012 से 2019 के मध्य पोक्सो एक्ट के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है जो चिंता का विषय है। महिलाओं व बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं अत्यंत संवेदनशील मुद्दा होने की वजह से इस पर अधिक ध्यान दिए जाने जाने की आवश्यकता है।महिलाओं व बच्चों कें बचाव एवं सुरक्षा संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए ,यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट कों बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं को देखते हुए और भी कठोर बनाते हुए 2016 में संशोधित पोक्सो एक्ट 2012 पारित किया गया। पोक्सो एक्ट 2012 को संशोधित कर इसकें अंतर्गत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

यह स्वभाविक है कि कानून सिर्फ महिलाओं व बच्चों के प्रति होने वाले अत्याचारों के लिए कानून बना सकता है परंतु बलात्कारी को तब तक सजा नहीं हो सकती जब तक स्वयं बलात्कार पीड़ित महिला व बच्चे आगे आकर साहस न दिखाएं और बलात्कार पीड़ित महिलाएं तब तक साहस नहीं दिखा सकते , जब तक देश उनके अभिभावक की भूमिका नही निभाता। अगर महिलाओं व बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश लगाना है तो देश कों सक्रिय दृष्टिकोण सें न्यायिक व्यवस्था व प्रशासनिक स्तर पर सुधार लानें की आवश्यकता है।

देश के जागरूक नागरिक होने के कारण मेंरी प्राथमिकता है कि मैं लैंगिक अपराधियों के विरुद्ध आवाज

बुलंद करू। सिर्फ मैं ही नहीं हमारें माता–पिता, स्कूल पड़ोसी, स्वास्थ्य कर्मी, रिश्तेदार, मीडिया, पुलिस, सामाजिक संगठन ,सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि के रूप में हम सभी के प्राथमिकता है कि हम महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें। दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं व बच्चों के लिए हितकर व सहयोगी वातावरण बनाने के लिए जिम्मेदारी स्वरूप अपने आपको आगे लाएं।देश में हो रहे महिलाओं व बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाओं के प्रति जागरूक होना ही काफी नहीं है ,बल्कि प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक बनकर शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

सभी धारको को अपने कर्तव्यों व जिम्मेदारी के बारे में जागरूक होना चाहिए व माता–पिता ,स्कूल, पड़ोसी, स्वास्थ्यकर्मी, मीडिया, पुलिस, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक जागरूक की भूमिका निभानी होगी व इन्हें पता होना चाहिए कैसे महिलाओं व बच्चों के सर्वोत्तम हित में भलाई के लिए काम किया जाए जिसके फलस्वरूप लैंगिक अपराधों से सुरक्षित बच्चे व महिलाएं एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे।

लैंगिक अपराधों के विरुद्ध कानून

गतवर्षों में निर्भया सामूहिक दुष्कर्म हत्याकांड , कठुआ रेप कांड, अलवर–लक्ष्मणगढ़ दुष्कर्म हत्याकांड देश मे महिलाओं और बच्चों की दयनीय स्थिति को दर्शाती हैं। समसामयिक बलात्कार की घटनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत देश में महिलाएं और बच्चें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं।हमारे देश में पर्याप्त रूप से लैंगिक अपराधों हेतू कई कानून बनाए गए हैं जो इस प्रकार है–

जिनमें प्रमुख रूप से अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (Protection of Chldren from sexual ofencesAct 2012) है।

आईएपीसी धारा 376, बलात्कार

इस अपराध को भारतीय दंड संहिता में बलात्संग भी कहा गया है। यह अत्यंत जघन्य अपराध है। यह अपराध भारत की प्रमुख समस्या बनकर उभरा है। भारतीय दंड संहिता में इस अपराध मे मृत्युदंड तक दंडनीय रखा गया है।

प्रकृति के विरुद्ध अपराध धारा 377

इस धारा के अंतर्गत हाल ही के अंदर संशोधन किए गए हैं, परंतु वह संशोधन समलैंगिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु किए गए है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री जीव जंतुओं के साथ प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध चलते हुए अपनी इच्छा से इंद्रिय भोग करेगा वह आजीवन कारावास से दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा।

प्रकृति की अवस्था के विरुद्ध संभोग मुखमैथुन एवं गुदामैथुन को माना गया है। यदि कोई स्त्री को इस प्रकार के संभोग हेतु विवश करता है तो वहां इस अपराध का अपराधी माना जाएगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न

जब महिलाएं घरों से निकलकर वित्तीय मजबूती के लिए कार्य स्थलों पर नौकरियां करने आई तो पुरुषों द्वारा महिलाओं को कार्यस्थल पर भी लैंगिक रूप से उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न दिया गया।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956

इस अधिनियम का मूल उद्देश्य महिलाओं को वेश्यावृत्ति से बचाना है एवं जो महिलाएं पूर्व से वेश्यावृत्ति इत्यादि कामों में लगी हुई है। उनका उत्थान करना है अधिनियम के अंतर्गत सुधार गृह एवं संरक्षण गृह बनाए गए तथा नए वेश्यालय को खुलने से रोकने का पूर्ण इंतजाम किया गया है।

उपयुक्त कानून होने के बावजूद भी हमारे देश में महिलाओं और बच्चों के साथ लैंगिक अपराधों की घटनाएं कम होने के विपरीत बढ़ती ही जा रही हैं।जिसकी जिम्मेदारी ना तो हमारा प्रशासन लेता है ना हमारी सरकार।देश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं आमजन को झकझोर देती हैं परंतु हमारा समाज, प्रशासन मीडिया,पत्राचार,गैर संवैधानिक संस्थाएं, पुलिस प्रशासन, न्यायिक संस्थाएं इन संवेदनशील मामलों के प्रति अभी तक पूर्ण रूप से सजग नहीं है।

देश की आधी से ज्यादा आबादी में महिलाएं और बच्चे आते हैं।महिलाएं और बच्चे हमारे देश की नींव हैं,अगर हमारे देश में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो हमारा भविष्य भी अंधकारमय हे। समाज, प्रशासन मीडिया, पत्राचार, गैर संवैधानिक संस्थाएं, पुलिस प्रशासन, न्यायिक संस्थाओ को महिलाओं और बच्चों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारीपूर्ण करना होगा तभी हमारी महिलाएं और बच्चे देश में सुरक्षित हो पाएंगे व देश का भविष्य उज्जवल होगा।

अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (Protection ofChldren from seÛual ofencesAct] 2012")

पृष्ठमभूमि:POCSO] लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from SeÛual OffencesAct– POCSO) का संक्षिप्त नाम है।

POCSO अधिनियम, 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिये लागू किया गया था।

इस अधिनियम में 'बालक' को 18 वर्ष से कम आयु के व्यकक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और यह बच्चे का शारीरिक, भावनात्मकक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये हर चरण को ज़्यादा महत्त्व देते हुए बच्चेश के श्रेष्ठर हितों और कल्याकण का सम्मायन करता है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination) नहीं है।

"ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष मद्रास उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था कि 16 वर्ष की आयु के बाद सहमति से यौनिक, शारीरिक संबंध या इस प्रकार के अन्य कृत्यों को POCSO अधिनियम के दायरे से बाहर कर देना चाहिये।"

मुख्य बिंदु

वर्ष 2012 में पॉक्सो के लागू होने के बाद भी बाल उत्पीड़न संबंधी अपराधों के मामलों में वृद्धि को देखते हुए वर्ष 2019 में पॉक्सो अधिनियम में कई अन्य संशोधनों के साथ ऐसे अपराधों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया था।

इस अधिनियम में किये गए हालिया संशोधनों के तहत कठोर सजा प्रावधानों के साथ अपराध की रोकथाम से संबंधित उपायों (Preventive Measures) पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस संशोधन के माध्यम से बाल उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिये सरकार और अन्य हितधारकों के सहयोग से बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और लैंगिक अपराधों आदि के बारे में अवगत कराना तथा इन अपराधों से संबंधित शिकायत एवं कानूनी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने बाल यौन शोषण अपराध संबंधी कानून को कठोर बनाते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण नियम– पॉक्सो (Protection of Children from SeÛual Offences Rules& POCSO), 2020 को अधिसूचित किया है। इसमें किये गए नए संशोधनों के तहत बाल उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है। नए संशोधनों के तहत स्कूल, केयर होम और ऐसे अन्य संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पुलिस सत्यापन को अनिवार्य करने के साथ कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गए हैं।

बाल यौन अपराध संरक्षण नियम, 2020

जागरूकता और क्षमता निर्माण

(Awareness generationAnd capacity building)

केंद्र और राज्य सरकारों को बच्चों के लिये आयु–उपयुक्त (Age &Appropriate) शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये कहा गया है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक किया जा सके।

इस संशोधन के तहत शैक्षिक सामग्री के माध्यम से बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा तथा ऐसे मामलों की शिकायत के लिये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जैसे माध्यमों से भी अवगत कराना है।

व्यक्तिगत सुरक्षा में बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के साथ ही ऑनलाइन मंचों पर उनकी पहचान से संबंधित सुरक्षा के उपायों, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है।

अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग

(Reporting of pornographic material)

इस संशोधन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े प्रावधानों को भी कठोर किया गया है।

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई फाइल प्राप्त करता है या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानता है जिसके पास ऐसी फाइल हो या वह इन्हें अन्य लोगों को भेज रहा हो या भेज सकता है, उसके संबंध में विशेष किशोर पुलिस इकाई या साइबर क्राइम यूनिट (बलइमतबतपउम. हवअ.पद) को सूचित करना चाहिये।

नियम के अनुसार, ऐसे मामलों में जिस उपकरण (मोबाइल, कम्प्यूटर आदि) में पोर्नोग्राफिक फाइल रखी हो, जिस उपकरण से प्राप्त की गई हो और जिस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर प्रदर्शित की गई हो सबकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

'बाल संरक्षण नीति'

(Child Protection Policy)

नए नियमों के तहत राज्य सरकारों को बाल उत्पीड़न के खिलाफ ष्शून्य–सहिष्णुता" के सिद्धांत पर आधारित एक 'बाल संरक्षण नीति' (Child Protection Policy) तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं।

राज्य के ऐसे सभी संस्थानों, संगठनों या अन्य कोई भी एजेंसी जो बच्चों के साथ काम करती हो, उनके द्वारा सरकार की इन नीतियों का अनुसरण किया जाएगा।

विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित आयु वर्ग के तहत चाइल्डध्बालक की परिभाषा

POCSO अधिनियम: 18 वर्ष से कम

बाल मजदूर (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986रू 14 वर्ष से कम किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015रू 14 वर्ष से कम

कंपनी अधिनियम, 1948: 15 वर्ष से कम

आयु की सहमति प्रदान करने पर वैश्विक कानून

बहुत से देशों में 16 साल या उससे कम आयु वर्ग को चाइल्डध्बालक की श्रेणी में रखा गया है।

अमेरिका के बहुत से देश, यूरोप, जापान, कनाडा ऑस्ट्रेलिया चीन और रूस भी इस श्रेणी में शामिल है।

हितधारकों के लिये जागरुकता कार्यक्रम

संशोधनों के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें नियमित रूप से समय–समय पर बच्चों के साथ काम करने वाले सभी लोगों (शिक्षक, बस ड्राइवर, सहायक आदि, चाहे वे नियमित हों या अनुबंधित) को बाल सुरक्षा तथा संरक्षण के प्रति जागरूक करने एवं उन्हें उनकी जिम्मेदारी के प्रति शिक्षित करने के लिये प्रशिक्षण प्रदान करेंगी।

संशोधन में बाल उत्पीड़न के मामलों पर कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के लिये भी समय–समय पर क्षमता विकास संबंधी अभिविन्यास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का भी सुझाव दिया गया है।

संशोधनों के अनुसार, ऐसा कोई भी संस्थान जहाँ बच्चे रहते हों या आते–जाते हों जैसे–स्कूल, शिशु गृह, खेल अकादमी आदि, को अपने सभी कर्मचारियों के बारे में पुलिस सत्यापन और उनकी पृष्ठभूमि की जाँच नियमित रूप से करनी होगी।

मुआवजा

नियम के अनुसार, यौन उत्पीड़न के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विशेष अदालत मामले में किसी भी समय पीड़ित की अपील या अपने विवेक से पीड़ित को राहत या पुनर्वास के लिये अंतरिम मुआवजे का आदेश दे सकती है।

ऐसे आदेश के पारित होने के 30 दिनों के अंदर राज्य सरकार द्वारा पीड़ित को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

विशेष सहायता

इस संशोधन के तहत बाल कल्याण समिति को यह अधिकार दिया गया है कि समिति अपने विवेक के अनुसार भोजन, कपड़े, परिवहन या पीड़ित की अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिये उसे विशेष सहायता प्रदान करने के आदेश दे सकती है।

इस तरह की आकस्मिक राशि का भुगतान आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर पीड़ित को किया जाएगा।

'बाल यौन अपराध संरक्षण नियम, 2020' देशभर में 9 मार्च, 2020 से लागू हो गया है।

बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के माध्यम से पहली बार 'पेनीट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' (Penetrative SeÛualAssault), यौन हमला (SeÛualAssault) और यौन उत्पीड़न (SeÛual Harassment) को परिभाषित किया गया था।

इस अधिनियम में अपराधों को ऐसी स्थितियों में अधिक गंभीर माना गया है यदि अपराध किसी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सेना आदि के द्वारा किया गया हो।

अधिनियम के तहत बच्चों से जुड़े यौन अपराध के मामलों की रोकथाम के साथ ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में हर स्तर पर विशेष सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

साथ ही इस अधिनियम में पीड़ित को चिकित्सीय सहायता और पुनर्वास के लिये मुआवजा प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है।

यह अधिनियम लिंग के आधार पर भेदभाव (Gender Discrimination) नहीं करता है।

वर्ष 2019 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक , 2019 के माध्यम से 'गंभीर पेनेट्रेटिव यौन प्रताड़ना' (Aggravated penetrative seÛualAssault) के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। (https://www-drishtiias-com/hindi/loksabha&rajyasabha&discussions/pocso&new&rules)

निष्कर्ष

वर्तमान में हमारा भारत प्रगति के पथ निरंतर बढ़ता जा रहा है और बुलंदियों की नई–नई ऊंचाइयों को छू रहा है।परंतु इसके विपरीत देश की आधी से अधिक आबादी देश में ही सुरक्षा व मान– सम्मान के साथ नहीं रह पा रही है।इसका प्रमुख कारण है – महिला व बाल लैंगिक अपराधों का निरंतर बढ़ना।महिलाओं व बाल लैंगिक अपराध तभी कम हो सकते हैं जब हमारा प्रशासन व हमारी सरकार लैंगिक अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें।समाज में जन –जागरूकता अभियान चलाएं।महिला व बाल लैंगिक अपराधों पर तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब सरकार ,प्रशासन ,समाज, मीडिया, गैर –सरकारी संस्थाएं, पुलिस प्रशासन युवावर्ग मिलकर लैंगिक अपराधों के विरुद्ध सशक्त रूप से आवाज उठाएं।महिलाएं व बच्चे देश का भविष्य हैं अगर यही देश में सुरक्षित नहीं होंगे तो देश का भविष्य अंधकार की ओर पैर पसारेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *Chandra, Sushil.1967.„Sociology of Deviation in India",Allied Publisher, Bombay, p.1.*
2. *Burt, Cyril.1944.„The Young Deliquent", University of London Press, London.*
3. *Jones „Juevenile Delinquency"And Law, P.9*
4. *Quoted by Calvert, „Capital Punishment in the 20th Century", P.5*
5. *KnudtenAnd Schafter.1970.„ Juvenile Delinquency";An Introduction, Random House, New York, P.29.*
6. *Gillin& Gillin.1945."CriminologyAnd Penology" (3rd Ed.) New York:Appleton Century.*
7. *Neumayer, Martin H.1961. „Juvenile Delinqueny in Modern Society", New York.*
8. *Sharma, Virendra Prakash. 2006. „Social Problems in Contemporary India", Panchsheel Prakashan, Jaipur, , P.254*
9. *Gupta, M.l. & Sharma, D.D. 2005.भारतीय सामाजिक समस्याएँ, साहित्य भवन पब्लिकेंान, आगरा, P.75*
10. *Elliot, Mabel. 1952. „Crime in Modrn Society", Harper & Bros. New York.*
11. *https://www.drishtiias.com/hindi/loksabha-rajyasabha-discussions/pocso-new-rules*